न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(सुश्री रजनी मीणा, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

अपील संख्याः 03 / 2019

निर्णय दिनांकः– 24.02.2021

उनवान

निर्मला पुत्री रामस्वरूप पतनी कैदार जाति मीना निवासी पागडी हाल नवाबपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक

–अपीलान्ट

बनाम

1.सरपंच ग्राम पंचायत खातोली तहसील उनियारा जिला टोंक

2.तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोंक

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 429 दिनांक 19.06.2018

ग्राम पंचायत खातोली तहसील उनियारा जिला टोंक

उपस्थितः– श्री बेणीप्रसाद मीणा वकील अपीलान्ट

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि अपीलान्ट के पिता स्व0 रामस्वरूप पुत्र राजू के संयुक्त खातेदारी की भूमि खाता संख्या 28 ख0न0 106, 107, 407, 497 / 409, 72, 86, 88 ग्राम पागडी , खाता संख्या 29 ख0न0 337, 337 / 458, 338, 339, 340 ग्राम पागडी , खाता संख्या 30 ख0न0 341 रकबा 0.04 गे0मु0 चाह, खाता संख्या 120 ख0न0 111, 112, खाता संख्या 121 ख0न0 110, 80, 82, 83, 84, 85 ग्राम पागडी तहसील उनियारा जिला टोंक है। अपीलान्ट के पिता राजू की मृत्यु हो चुकी है तथा राजू की मृत्युपरान्त ग्राम पागडी ग्राम पंचायत खातोली पंचायत समिति उनियारा मे उनका फोती नामान्तरकरण खोला गया, जबकि क0सं0 9 पर अपीलान्ट का नाम गलती से मीमी पुत्री रामस्वरूप लिख दिया गया जबकि मृतक रामस्वरूप के इस नाम की कोई पुत्री संतान नहीं थी तथा प्रार्थीया का नाम निर्मला है। ग्राम पंचायत

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

खातोली ने बिना वारिसान की जांच किये अपने अधिकार क्षैत्र से परे जाकर अपीलान्ट का नाम निर्मला के स्थान पर मीमी अंकित किया गया है, जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित व विधि संगत है।

अपीलान्ट का निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 429 दिनांक 19.06.2018 मे संशोधन किया जाकर मीमी पुत्री रामस्वरूप नाम हटाया जावे एवं मीमी पुत्री रामस्वरूप के स्थान पर अपीलान्ट का नाम निर्मला पुत्री रामस्वरूप दर्ज कर राजस्व रेकार्ड दुरूस्त करने का आदेश फरमाया जावे।

उक्त अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया।

बावजूद तामील नोटिस रेस्पोडेन्ट के उपस्थित नही होने से रेस्पोडेन्टस् के विरूद्व दिनांक 24.09.2019 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। अपीलान्ट के वकील ने अपील मे वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये कथन किया कि खाता संख्या 28, 29, 30, 120 व 121 वाके ग्राम पागडी मे वर्णित आराजीयात मे प्रार्थिया के पिता रामस्वरूप की मृत्यु के बाद विरासत के नामान्तरकरण मे प्रार्थिया का नाम निर्मला पुत्री रामस्वरूप के स्थान पर गलत रूप से ग्राम पंचायत खातोली ने मीमी पुत्री रामस्वरूप दर्ज कर दिया गया। मीमी पुत्री रामस्वरूप के स्थान पर निर्मला पुत्री रामस्वरूप दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किया जावे।

इससे यह बखूबी साबित है कि नामान्तकरण संख्या संख्या 429 दिनांक 19.06.2018 का नामान्तकरण भरते समय सहवन उपरोक्त वर्णित आराजीयात में मीमी पुत्री रामस्वरूप अंकित कर दिया जो गलत भरा गया है, उपरोक्त विवेचन से न्यायालय नामान्तकरण संख्या 429 दिनांक 19.06.2018 को ग्राम खातोली की हद तक खारिज किया जाना उचित समझता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 429 दिनांक 19.06.2018 को खारिज किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वे उक्त नामान्तकरण की पुनः जांच कर आराजीयात में मीमी पुत्री रामस्वरूप के स्थान पर निर्मला पुत्री रामस्वरूप दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को अंकित कर नियमानुसार अपीलान्टस के पक्ष मे नामान्तकरण तस्दीक करे।

यह निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुश्री रजनी मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी उनियारा